

FORM NO.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

2020/0045/

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी
जिला जोधपुर

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या : 114/2020

प्रार्थी

अप्रार्थी

सादा जीने लहसीलदा हूता बनाम टलाशक वगैरा
किस्म मुकदमा- अन्तर्गत धारा 131, 136 एल.आर. एक्ट 1956

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही गय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 21/12/2020 | <p>तहसीलदार लूणी के द्वारा प्राप्त भूअगिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (DILRMP) के तहत जमाबन्दी मे मौजूदा खसरो को राजस्व नक्शो मे दर्ज खसरो से वन-टू-वन मिलान के मध्यनजर जिन खसरो मे रेकर्ड, मौका व नक्शो मे गिनता आ रही है यथा किसी सरकारी खसरे में से कई खातेदारो को पूर्व मे मे मुवाडा एव अन्य किस्म के छोटे-छोटे रकवे के खसरे आवटित किये गये जिनका नामान्तरण पूस्त कर नजरी नक्शा आवटन व आवटन सम्बन्धी दस्तावेज इत्यादि उपलब्ध नहीं है जिनकी दिशा व स्थिति स्पष्ट नहीं हैं। अत ऐसे खसरे को मूल खसरे मे एकीकरण के प्रस्ताव हल्का पटवारी आवावे पत्रो. 216 आवावे पत्रो. 217 एवं तहसीलदार लूणी से प्राप्त हुये, जिनो दर्ज रजिस्टर किया जाकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा अन्तर्गत 131,136 के तहत मूल प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर तहसीलदार लूणी को माफिक प्राप्त मूल प्रस्ताव अनुसार (DILRMP) के तहत रेकर्ड मे एकीकरण कर रेकर्ड दुरुस्ती करें। पत्रावली फंसल शुमार होकर दफतर दाखिल हो।</p> | |

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी लूणी
(जोधपुर)